महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक दंगे

1692. **श्री नरेश सी० पुगलिया :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले वर्ष कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए, इन दंगों के क्या कारण थे और उनका जिले-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी तत्वों की संख्या में हो रही वृद्धि की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन दंगों को रोकने के लिये राज्य सरकार को क्या निर्देश दिये हैं ; और

(घ) 2 नवम्बर, 1986 को अमरावती (महाराष्ट्र) में हुए दंगों के फलस्वरूप मारे गये 8 व्यक्तियों और घायलों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार 1985 के दौरान 21 साम्प्रदायिक दंगे हुए। इन घटनाओं के जिला-वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

क्र. सं.	जिले का नाम	घटनाओं की संख्या
1	अहमदनगर	1
2	अकोला	5
3	बंबई	1
4	बुल्दाना	2
5	धुला	1
6	जलगांव	4
7	नान्देड़	1
8	नासिक	1
9	पारबनी	1
10	रायगढ़	2
11	थाणे	1
12	याबाटमाल	1
	कुल :	21

ये साम्प्रदायिक घटनाएं फिरकाप्रस्त तथा असामाजिक तत्वों का काम थी जिन्होंने मामूली विवादों और झगड़ों को साम्प्रदायिक रंग दिया और धार्मिक जलूसों और सभाओं के अवसर पर विशेष रूप से क्रियाशील पाये गये।

(ख) जी हां, श्रीमन ।

(ग) इन सभी घटनाओं में महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए तथा शरारतियों से निपटने के लिए निवारात्मक तथा दण्डात्मक उपाय किये । केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों पर साम्प्रदायिक सद्भाव तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता पर बल देती है। उन्हें प्रशासन तथा आसूचना प्रणाली को सुचारू बनाने तथा असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने, शस्त्रों तथा गोला बारूद को बरामद करने के लिये खोजबीन करना जब्ती जैसे उपायों तथा साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कारवाई करने के लिए सुझाव दिये गये हैं। राज्यों को जब भी उनके द्वारा अनुरोध किया जाता है, केन्द्रीय बल मुहैया कराये जाते हैं । इसके अतिरिक्त समय-समय पर उन्हें सावधान किया जाता है तथा जब आवश्यकता हो मार्ग दर्शन किया जाता है तथा सलाह दी जाती है । साम्प्रदायिक हिंसा को कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों जिनकी 1985 में पुनरीक्षा की गयी थी और संशोधित किया गया था, सभी राज्य सरकारों को परिचालित किये गये हैं ।

इस संदर्भ में, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के 15 सूत्री कार्यक्रम को सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है । राष्ट्रीय एकता परिषद ने 12 सितम्बर, 1986 को हुई अपनी बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया । इस संबंध में गृह मंत्री ने भी अक्तूबर, 1986 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री के राहतकोष से अमरावती के दंगा ग्रस्त लोगों की राहत के लिए दो लाख रुपये मंजूर किये हैं जिनमें से 70,000 रु० अमरावती दंगों में मारे गये सात

व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को दिये जायेंगे। राज्य सरकार के अनुसार, घायल व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है क्योंकि उनके मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. **Babina Cantonment (Regulation and Control of plying and Licensing Rickshaws) Amendment Bye-Laws, 1982 and related papers**

II. **Kamptee Cantonment Octroi Bye-Laws, 1986 and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI ARUN SINGH): Sir, I beg to lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Cantonment Board, Babina, Notification S.R.O. CR/Bye Laws, dated the 6th July, 1985, publishing the Babina Cantonment (Regulation and Control of Plying and Licensing Rickshaws) Amendment Bye-Laws, 1982, under section 284 of the Cantonments Act, 1924, together with a statement giving reasons for the delay in laying the Notification. [Placed in Library. *See* No UT3241|86].

II. A copy (in English and Hindi) of the Cantonment Board, Kamptee, Notification S.R.O. No. 12/1/C-L&C|83, dated the 14th June, 1986, publishing the Kamptee Cantonment Octroi Bye-laws, 1986,under section 284 of Cantonments Act, 1924, together with a statement giving reasons for the delay in laying the Notification. [Placed in Library. *See* No. LT-3241|86].

I. **Recruitment Rules for the post of Assistant Information Officer (Public Relations Officer) in Delhi Police**

II. **Delhi Control of Vehicular and other Traffic on Roads and Streets Regulations (Amendment) 1986**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Delhi Administration Notification No. F. 10/4/84-Home(P)|Estt., dated the 6th December, 1985, publishing the Recruitment Rules for the post of Assistant Information Officer (Public Relations Officer) in Delhi Police, under section 148 of the Delhi Police Act, 1978. [Placed in Library. *See* No. LT-3289|86.]

II. A copy (in English and Hindi) of the Commissioner of Police, Delhi Notification No. 881/Spl. Cell/PHQ, dated the 6th August, 1986, publishing the Delhi Control of Vehicular and other Traffic on Roads and Streets Regulations (Amendment) 1986, under section 148 of the Delhi Police Act, 1978. [Placed in Library. *See* No. LT-3242|86]

Report and Accounts (1985-86) of the Physical Research Laboratory, Ahmedabad and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report and Accounts of the Physical Research Laboratory Ahmedabad, for the year 1985-86, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Statement by Government accepting the above Report. [Placed in Library. *See* No. LT-3245|86 for (i) and (ii)]

Indian Telegraph (Third Amendment) Rules, 1986

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-sec-